



SET

State Eligibility Test

राज्य पात्रता परीक्षा

इतिहास

पेपर – 2 || भाग – 1



विषय-सूची

| क्र.सं. | प्राचीन भारत का इतिहास | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--------------|
| 1. | संकल्पनाएँ, विचार और शब्दावलियाँ | 1 |
| 2. | पुरातात्विक स्रोत | 21 |
| 3. | साहित्यिक स्रोत | 30 |
| 4. | विदेशी विवरण | 38 |
| 5. | पशुचारण और खाद्य उत्पादन | 40 |
| 6. | ताम्र पाषाण काल | 44 |
| 7. | सिन्धु घाटी सभ्यता | 49 |
| 8. | वैदिक एवं उत्तर-वैदिक काल | 56 |
| 9. | महाजनपद काल | 67 |
| 10. | धार्मिक क्रान्ति | 69 |
| 11. | साम्राज्यों का श्रुत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव | 94 |
| 12. | गुप्तकाल | 114 |
| 13. | गुप्तकालीन साहित्य | 117 |
| 14. | दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय | 137 |
| 15. | प्राचीन भारत के विविध पहलू | 189 |

प्राचीन भारत का इतिहास

संकल्पनाएँ, विचार और शब्दावलियाँ

भारत के पुरा प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें उसकी शब्दावली और संकल्पनाओं का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, अन्यथा हम इतिहास के रहस्यों को समझने में असमर्थ रहेंगे।

भारतवर्ष

प्राचीन समय में भारतवर्ष उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तथा पूर्व में असम की सीमा तक विस्तृत था। वस्तुतः यह एक उपमहाद्वीप की तरह था जिसमें वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि के क्षेत्र समाहित थे। यही क्षेत्र 'भारतवर्ष' के नाम से विख्यात था। ऐसा माना जाता है कि दुष्यन्त के पुत्र 'भरत' के नाम पर इसका नाम 'भारत' पड़ा। कुछ विद्वान् इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रन्थों में जम्बूद्वीप को उस भू-भाग की संज्ञा दी गई थी, जहाँ पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में महान् मौर्य वंश का शासन था। ईरानियों ने इस देश को 'हिन्द' या 'हिन्दुस्तान' कहा जबकि यूनानियों ने इसे 'इण्डिया' का नाम दिया। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत का तत्कालीन नाम 'ब्रह्मराष्ट्र' बताया है।

सभा समिति

सभा एवं समिति कबायली जनतामित्रक संस्थाएँ थीं जिनका वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह आर्यों की एक संगठनात्मक इकाई थी जो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक निर्णयों का निर्धारण करती थी। ऋग्वेद में सभा-समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। सभा के संगठन में कुछ गिने-चुने लोग (सम्भ्रान्त) ही भाग लेते थे। इसका मुख्य न्याय करना था। समिति एक जनसाधारण की संस्था थी जिसमें उस क्षेत्र के सभी निवासी भाग लेते थे। सभा आधुनिक राज्य सभा के समान थी, जबकि समिति लोक सभा के समान। इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था। इसी कारण राजा (राजन) इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। इसके अध्यक्ष को 'ईशान' कहा जाता था। समिति राजा को पदच्युत भी कर सकती थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति दोनों में महिलाएँ भाग लेती थीं परन्तु बाद में सभा में उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। ये कबायली संस्थाएँ अपनी उपयोगिता बाद के काल में खोने लगीं जिससे उनका लोप हो गया।

वर्णाश्रम

प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। प्रारम्भ में कबायली समाज (ऋग्वेदिक) तीन समूहों में विभाजित था - योद्धा, पुरोहित, सामान्यजन यह विभाजन पेशे पर (कर्म पर) आधारित था। चौथा विभाजन अर्थात् शुद्ध ऋग्वेदिक काल के अन्त में हुआ जिससे उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में सम्पूर्ण समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। ऋग्वेद के दशवें मण्डल के पुरुषसूक्त में चातुर्वर्णीय विभाजन का उल्लेख मिलता है।

वेदान्त

वेदान्त ज्ञानयोग की एक शाखा है, जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद् है, जो वेद ग्रन्थों और ऋण्यक ग्रन्थों का सार समझाते हैं। उपनिषद् वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदान्त कहते हैं। कर्मकाण्ड और उपासना का मुख्यतः वर्णन मन्त्र और ब्राह्मणों में है, ज्ञान का विवेच्य उपनिषदों में वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है- 'वेदों का अन्त'। वेदान्त की तीन शाखाएँ जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, वे हैं- अद्वैत वेदान्त, विशिष्टाद्वैत और द्वैत।

पुरुषार्थ

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए 'पुरुषार्थ' नाम से अपने दार्शनिक विचारों का नियोजन किया। सर्वप्रथम पुरुषार्थ के अन्तर्गत धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की गई, बाद में इसमें 'मोक्ष' को भी शामिल किया गया। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक ये चार पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन को आधार प्रदान कर उसे गरिमा-मण्डित करते हैं और उसमें निवृत्तिमूलक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

ऋण

प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तीन ऋण के साथ जन्म लेता है। ये तीन ऋण हैं- 1. देवऋण, 2. ऋषि ऋण 3. पितृऋण। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए, इसलिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषिऋण, यज्ञादि करने से देवऋण तथा सन्तानोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इससे व्यक्ति को धर्मानुकूल आचरण करने में सहायता मिलती थी।

संस्कार

प्राचीन काल में यह माना गया था कि मनुष्य जन्मना असंस्कृत होता है। संस्कारों के बाद वह शुद्ध, परिष्कृत तथा संस्कृत हो जाता था। इन्हीं उद्देश्यों के निमित्त संस्कारों का विधान किया गया था। यद्यपि संस्कारों की संख्या को लेकर विभिन्न धर्मग्रन्थों में अलग-अलग विवरण प्राप्त हैं; जैसे- गौतम ने 40, वैश्वानर ने 18 तथा मनु ने 13 संस्कार बताए हैं। परन्तु सामान्य तौर पर संस्कारों की संख्या 16 ही मानी गई है। ये संस्कार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं।

यज्ञ

प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य के लिए यज्ञ का महत्त्व बताया गया है। यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो देवताओं की पूजा एवं स्तुति जाता था। वैदिककालीन ऋषि गृहस्थों को पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये पाँच महायज्ञ इस प्रकार हैं - 1. देवयज्ञ 2. पितृयज्ञ 3. ऋषियज्ञ या 4. भूतयज्ञ 5. अतिथि यज्ञ इन यज्ञों का निष्पादन प्रारम्भ में बहुत सरलता से होता था, परन्तु बाद में अत्यन्त जटिल कर्मकाण्ड बन गए राजाओं द्वारा भी यज्ञ किए जाते थे, जो इस प्रकार थे - 1. राजसूय यज्ञ 2. अश्वमेध यज्ञ 3. बाजपेय यज्ञ 4. अग्निष्टोम यज्ञ 5. पुरुषमेघ यज्ञ आदि।

गणराज्य

गणराज्य (रिपब्लिक) सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक 'सार्वजनिक मामला' माना जाता है न कि शासकों की निजी संस्था या सम्पत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता को प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है, जिसके अन्तर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। गणराज्य की परिभाषा का विशेष रूप से संदर्भ सरकार के एक ऐसे रूप से है, जिसमें व्यक्ति नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस राज्य का संदर्भ संवैधानिक गणराज्य से है। 2017 तक दुनिया के 201 सम्प्रभु राज्यों में से 149 अपने अधिकारिक नाम के हिस्से में रिपब्लिक शब्द उपयोग करते हैं। शगणरू जनता, “राज्यरू” विरासत देश, एक ऐसा देश होता है, जहाँ के शासनतन्त्र में संवैधानिक रूप से देश का सर्वोच्च पद आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है।

जनपद

प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को जनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। आर्य सबसे प्रभावशाली जाति थी और ये अपने आपको 'जन' कहते थे। इन्होंने एक नई परिभाषा दी 'जनपद' जिसमें जन का मतलब लोग और पद का मतलब 'चरण' था।

कर्म का सिद्धान्त

कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन उपनिषदों से माना जाता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही जीवन प्राप्त करता है अर्थात् अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार ही आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। वृहदारण्यक उपनिषद् में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख है कि “मनुष्य जैसा करता है उसे वैसा ही जीवन प्राप्त होता है अर्थात् कर्म के अनुसार ही फल मिलता है।”

दण्डनीति / अर्थशास्त्र

कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र सम्भवतः विश्व का प्रथम राजनीतिक ग्रन्थ है। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि अन्य नामों भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण (भाग), 180 प्रकरण (उपभाग) तथा 6000 श्लोक हैं जिसमें राजा तथा उसके कर्तव्यों, दण्डनीति, राजनीति आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें राज्य, राज्य के तत्व, राजा की स्थिति, उसके अधिकार, युद्ध एवं शान्ति के समय राजा का कर्तव्य, प्रशासन, गुप्तचर एवं न्याय, सैन्य व्यवस्था इत्यादि पर विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। इसके राज्य के आर्थिक आधार एवं सामाजिक, धार्मिक अवस्था की इस ग्रन्थ में मिलती हैं।

धर्म विजय

मौर्य सम्राट अशोक ने श्युद्ध विजय के स्थान पर 'धर्म विजय' (धम्म विजय) की नीति अपनाई थी। अशोक द्वारा शस्त्र, सेना व संहार का बहिष्कार कर धम्म द्वारा विश्व विजय की घोषणा की गई जिससे विश्व शान्ति की स्थापना हो सके। अशोक का धम्म न तो एक नया धर्म था और न ही एक नया राजनीतिक दर्शन। यह जीवन की एक पद्धति तथा लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली आचार संहिता तथा सिद्धान्तों का समुच्चय था। दशकाल अशोक ने मानव कल्याण के लिए जिन सिद्धान्तों का विकास और प्रचार-प्रसार किया, वह इतिहास में धम्म के नाम से विख्यात हैं। इसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की।

स्तूप/चैत्य स्तूप

स्तूप तथा चैत्य बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्राचीन भारतीय स्थापत्य विशालत है। स्तूप एक गोल आकार पर खलम्बित ईंट अथवा पत्थर से बनी ठोस गुम्बदाकार आकृति है जिसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध अथवा किसी महान् बौद्ध भिक्षु के अवशेषों को सुरक्षित रखना अथवा बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्मृति को सुरक्षित रखना था अर्थात् स्तूप अवशेषों (शारीरिक वस्त्र आदि) को रखकर बनाया जाता था। स्तूपों में सर्वोत्तम साँची का स्तूप है। पर्वतों की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएँ, जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, चैत्य कहा जाता है। अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इस प्रकार की गुफाएँ बौद्ध एवं आजीवक सम्प्रदाय के भिक्षुओं के लिए निर्मित कराई थीं। कार्ले का चैत्य अपने वास्तु सौन्दर्य के लिए विख्यात है।

विहार

बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल या उपासना स्थल मठों को विहार कहते हैं। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। विहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। उच्च शिक्षा में धार्मिक के अतिरिक्त अन्य विषय भी शामिल थे और इसका केन्द्र बौद्ध विहार ही था।

नागर/द्रविड/बेशर

नागर, द्रविड तथा बेशर ये तीनों प्राचीन काल तथा पूर्व मध्यकाल में प्रचलित मन्दिर स्थापत्य की शैलियाँ हैं। क्षेत्र विशेष में इसका विकास हुआ जैसे नागर शैली का विकास उत्तर भारत में द्रविड शैली का विकास दक्षिण भारत में तथा बेशर शैली का विकास विन्ध्याचल श्रेणी तथा कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में (दक्कन भारत) हुआ। नागर शैली के मन्दिरों का निर्माण एक ऊँचे चबूतरे पर किया जाता था। इसकी शैली पंचायतन के। चन्देल राजाओं ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण खजुराहो का कन्दरिया महादेव का मन्दिर है। द्रविड शैली का विकास मुख्यतः पल्लव तथा चोल राजाओं के काल में हुआ। इस शैली में नीचे का आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, जिसे 'विमान' कहा जाता है। इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजा राज द्वारा निर्मित तंजौर का वृहदेश्वर मन्दिर है। नागर तथा द्रविड शैली की विशेषताओं का सम्मिश्रण बेशर शैली में पाया जाता है। चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित एहोल का मन्दिर बेशर शैली का प्रमुख उदाहरण है।

बोधिसत्व/तीर्थकर

बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है जो महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों में से एक था। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व परम ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति है, जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता देता है। प्रमुख बोधिसत्व इस प्रकार हैं- अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय, क्षितिग्रह, अमिताभ जैन धर्म से सम्बन्धित उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष 'तीर्थकर' रूप में विख्यात है जिन्हें 'जिन' भी कहा जाता था, जिसका अभिप्राय विजेता होता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों का विवरण प्राप्त होता है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे तथा अन्तिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ये सभी क्षत्रिय थे। प्रत्येक तीर्थकर के साथ उनके प्रतीक भी होते थे; जैसे- ऋषभदेव का प्रतीक साँड, अजितनाथ का हाथी, सम्भवनाथ का घोड़ा, पार्श्वनाथ का शर्प, महावीर का सिंह आदि।

ऋलवार / नयनार

दक्षिण भारत में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने वाले ऋलवार (12) तथा नयनार (63) शक्त थे। ऋलवार शक्त मुख्यतः विष्णु भक्त थे तथा नयनार शक्त शैव मत को मानने वाले थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्थन को मोक्ष प्राप्ति का प्रत्यक्ष मार्ग बताया। इन्होंने समाज और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों और कर्मकाण्डों की भर्त्सना की। इन्होंने जातिभेद, ऊँच-नीच, ऊमीर-गरीब, ऋछूत, पाण्डित्य आदि को नकार दिया। अपने उपदेशों तथा रचनाओं को इन्होंने स्थानीय भाषा (तमिल) में दिया। ऋलवार तथा नयनार शक्तों में मुख्यतः निम्न वर्ग के लोग भी थे। कुछ रित्रियाँ (ऋण्डाल) भी इनमें शामिल थीं। ऋलवार शक्तों में रामानुजाचार्य का विशिष्ट स्थान है। जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आघार प्रदान किया, जो सर्वशुलभ थी। इस परम्परा को रामानन्द ने आगे बढ़ाया जिनके शिष्यों में कबीर, नानक, रैना, रैदार आदि निम्न जाति के लोग शामिल थे जो शगुण तथा निर्गुण दोनों मार्ग थे।

श्रेणी

प्राचीन भारत में व्यवसायी वर्गों की संस्था श्रेणी या गिल्ड थी जिनका विकास मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक हुआ जब भारत का व्यापार और वाणिज्य उत्कर्ष पर था। श्रेणी व्यवस्था सामंतों पर गाँव तथा शहरों में थी जिसमें विशिष्ट व्यवसाय के लोगों का समूह होता था। निगम तथा पुग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी जिनका स्थान विशेष से सम्बन्ध था जैसे 'निगम' शहर की संख्या तथा 'पुग' गाँव की संस्था थी या एक पेशे वालों की। श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे जिनमें प्रायः राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। मुख्य रूप से यह संस्था आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती थी परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक अस्त्र शस्त्र, यातायात के साधन भी होते थे। इनकी बैंकिंग प्रणाली भी थी, जो शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती थी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका योगदान था। मन्दसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा मन्दिर का प्रबन्धन जैसे कई उदाहरण हैं। जैन धर्म के विकास में इस संस्था का विशेष योगदान था।

भूमि छिद्र विधान न्याय

भूमि उस व्यक्ति से नहीं छीनी जा सकती है और उस भूमि के वास्तविक स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है, किन्तु ऐसा अधिकार उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो जाता है, जो उस स्थान का उपभोग उस सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के एक मित्र अथवा एक रिश्तेदार के रूप में कर रहा है। इसी प्रकार कोई राजमन्त्री या कोई ज्ञानी ब्राह्मण किसी भूमि पर वैधानिक स्वायत्ताधिकार केवल इसलिए नहीं रख सकता कि वह भूमि पर एक लम्बे समय से कब्जा रखे हुए है। (बृहस्पति 744-46), नारदस्मृति (1-315) और बृहस्पति स्मृति (754) दोनों के अनुसार, यदि किसी सम्पत्ति का उपयोग तीन पीढ़ियों के द्वारा किया जा चुका है और चौथी पीढ़ी उसका उपयोग करने लगती है, तब उस भूमि में जुड़े वैधानिक स्वायत्त अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता और उस भूमि को उससे नहीं छीना जा सकता है।

कर/विष्टि

कर का मुख्य आशय राजस्व से है, जो प्राचीन काल में अलग-अलग नाम से जाना जाता था; जैसे- उत्तर वैदिक काल में भाग, मौर्य काल में प्रणय, गुप्तकाल में उदंग, उपशिक आदि कर की प्राप्ति मुख्य रूप से भू-राजस्व से होती थी। शासक वर्ग स्वयं को भूमि का स्वामी होने के बदले इन्हीं किसानों से वसूलते थे। सामन्त काल में भू-राजस्व की वसूली सरदार करते थे। अन्य करों में चुँगी (व्यापार कर), सिंचाई कर, यातायात कर आदि लिया जाता था। विष्टि मुख्यतः गुप्तकाल में प्रचलित हुई जिसका उपयोग राजा, सामन्त, भूमिपति, सरदार तथा अन्य कुलीन वर्गों द्वारा किया जाता था। यह ऐसी प्रथा थी जिसमें बिना पारिश्रमिक चुकाए श्रम लिया जाता था। मुख्यतः बड़े भू-स्वामी अपने रैयतों से अपनी भूमि पर बेगार करते थे। यह प्रथा आधुनिक काल तक चलती रही। शाहूकार और कम्पनी भी शिल्पियों, कारीगरों से विष्टि लिया करते थे जिसे स्वतन्त्र भारत के संविधान के द्वारा (मौलिक अधिकार में) शोषण पर रोक लगा दी गई।

भोग-भाग

जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर सिंचाई कर लिया जाता था, जो 'भाग' कहा जाता था। यह उपज का 1/10 भाग होता था। यदि कृषक अपनी भूमि पर शाक-सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था, तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे 'भोग' कहा जाता था।

स्त्रीधन

हिन्दू विवाह संस्कार में स्त्रीधन का भी प्रचलन था जो किसी भी पुत्री को उसके पिता, भाई, अन्य परिजनों द्वारा उपहार स्वरूप मिलता था। उस धन पर केवल स्त्री का ही अधिकार बनता था। ऋग्वेद और महाभारत में जुए में स्त्रीधन के लगाने का प्रमाण मिलता है जिसकी स्मृतिकारों ने निन्दा की है। स्मृतिकारों ने स्त्रीधन के उत्तराधिकारी की अलग-अलग व्याख्या की है। सामान्यतः इस पर पुत्री का अधिकार माना जाता था। आपद् काल में इसका प्रयोग करना उचित समझा गया है। स्त्री द्वारा इसका प्रयोग पति की आज्ञानुसार ही किया जाता था। यह धन स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन था। कालान्तर में इसकी प्रथा दहेज के रूप में प्रचलित हो गई जिसने एक विकृत पारम्परिक रूप धारण कर लिया।

स्मारक प्रस्तार (पत्थर)

स्मारक प्रस्तार में किसी की स्मृति में पत्थर की शिला को स्थापित किया जाता था। प्राचीन काल में यह स्मृति लिपिबद्ध की जाती थी, परन्तु बाद में स्मारक पत्थर राजाओं, देवी-देवताओं की मूर्ति के साथ जोड़ी जाने लगी। संगम युग में वीरों की स्मृति में भी स्मारक प्रस्तार लगाए जाते थे। मौर्य राजा अशोक ने अपने राज्यादेशों को प्रजा के लिए स्मारक प्रस्तार पर खुदवाया था। कालान्तर में कुषाण, गुप्त, हर्ष आदि राजाओं ने भी स्मारक प्रस्तार लगाए जिससे हमें उनके वंश, कालक्रम, कार्य, उपदेश आदि के शन्दर्भ में पता चलता है। वास्तव में ये पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमुख अंग हैं, जो वर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखे हैं।

ऋग्रहार

प्राचीन काल में राजाओं और भू-स्वामियों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि 'ऋग्रहार' कहलाती थी। यह कर मुक्त भूमि होती थी जिस पर प्राप्तकर्ता का सम्पूर्ण अधिकार होता था। यद्यपि पहले यह ब्राह्मणों को प्राप्त होती थी, परन्तु बाद में धार्मिक संस्थाओं, मन्दिरों तथा अन्य लोगों को भी दी जाने लगी। ऋग्रहार दान की प्रथा सर्वप्रथम शातवाहन काल से शुरू हुई। इस प्रकार के दान का मुख्य उद्देश्य था- शिक्षा, धर्म को बढ़ावा देना। परन्तु कालान्तर में इसने सामन्तवाद के विकास को बढ़ावा दिया।

ऋङ्ग ए दहशाला

यह मुगल साम्राज्य में बादशाह ऋकबर के शासन काल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई 'भू-राजस्व व्यवस्था' की पद्धति थी। ऋकबर के शासन काल में 1571 से 1580 ई. (10 वर्षों) के ऋकडों के ऋधार पर भू-राजस्व का औरत निकालकर 'ऋङ्ग-ए-दहशाला' प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली के ऋतर्गत राजा टोडरमल ने ऋलग-ऋलग फसलों पर नकद के रूप में वशूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्षों का औरत निकालकर उसे औरत का एक तिहाई भू-राजस्व के रूप में निश्चित किया है।

परगना

मुगल बादशाहों ने ऋपने विशाल साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बाँटा था। सम्पूर्ण साम्राज्य सुबों में विभाजित था। ऋकबर काल में इनकी संख्या 15 थी। सुबों का विभाजन परगना में किया गया था जिसके ऋतर्गत कई शरकार (जिले) ऋते थे। परगना की शासित व्यवस्था बनाए रखने का कार्य शिकदार करता था। परगना शर पर राजस्व का कार्य ऋमील नामक ऋधिकारी करता था।

ऋकबर द्वारा जब्ती प्रणाली को परगना शर पर ही लागू किया गया था जिसका मुख्य राजस्व का कार्य ऋमील ही देखता था। परगना शर पर कानून की देखभाल कानूनगो देखता था। फौतदार (खजांची) तथा कारकून भी परगना शर के कर्मचारी थे। इस प्रशासनिक इकाई का ढाँचा शेरशाह ने शुरू किया था जिसमें थोड़ी फेर-बदल के साथ इसे मुगलों ने ऋपनाया।

शाहना-ए-मंढी

ऋलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियन्त्रण व्यवस्था में शाहना-ए-मण्डी एक प्रमुख वस्तु ऋधिकारी था जो बाजार मूल्य, व्यापारियों की गतिविधि, माप-तौल, की किरम ऋदि बाजार गतिविधियों पर नियन्त्रण रखता था जो दीवाने रियासत के ऋतर्गत कार्य करता था। इसके ऋतर्गत वे बाजार का निरीक्षण किया करते थे। ऋलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को सफल बनाने में इस ऋधिकारी की प्रमुख भूमिका थी। शराय-ए-ऋदल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत पर नियन्त्रण रखने में शाहना-ए-मण्डी की प्रमुख भूमिका थी।

महालवाडी

महालवाडी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 'हॉल्ट मैकेंजी' द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को 1822 ई. के रेग्यूलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। महालवाडी व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था। वह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भू-राजस्व का समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे महाल (गाँव) के साथ किया गया था।

हिन्द स्वराज

हिन्द स्वराज गाँधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में थी। यह लगभग तीस हजार शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गाँधी जी ने अपनी इंग्लैण्ड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। यह इण्डियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रसारित हुई जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबन्धित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है।

वाणिज्यवाद या वणिकवाद

वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धान्त है जो 1500 से 1800 ई. के बीच यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय रहा। वाणिज्यवाद शब्द का आविष्कार इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किया जिसके सिद्धान्त के मूल में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इसमें सोने-चाँदी के टुकड़े जिसे बुलियन कहते हैं, के संग्रह पर बल दिया जाता है। जिसे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसके लिए वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को निरुत्साहित किया जाता था, क्योंकि वस्तुओं के निर्यात के बदले दूररे देशों से बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करना था। इसी सिद्धान्त के तहत यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना की।

आर्थिक राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रियता

आर्थिक राष्ट्रवाद अपने देश के हित में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना ही है जिसका उपयोग यूरोपीय देशों ने अपने देश के मालों का निर्यात कर आर्थिक लाभ कमाने में किया। दूरी और अपनी नीतियों द्वारा में आर्थिक राष्ट्रवाद का उच्च आरम्भिक कांग्रेस के नेता दादाभाई नौरोजी अन्य देश के व्यापार और वाणिज्य को नष्ट करने का काम किया। भारत द्वारा प्रारम्भ किया जिन्होंने अपनी रचना इंग्लैण्ड डेब्ट टू इण्डिया में अपने देश के आर्थिक हितों को ब्रिटेन द्वारा चोट पहुँचाने को उजागर किया जिससे लोगों में आर्थिक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यही से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन्हें (दादाभाई नौरोजी) ग्रेड ओल्ड मैन ऑफ इण्डिया कहा जाता है।

खिलाफत

हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों में उत्तराधिकारी का बँटवारा हुआ। सर्वप्रथम अबुबकर खलीफा बने। इस खलीफा के शासन को ही खिलाफत कहा जाता है। मुख्यतः खलीफा की आध्यात्मिक शक्त को ही खिलाफत कहते हैं। मध्यकाल में सुल्तानों द्वारा ही अपनी शक्त की वैधानिकता प्राप्त करने के लिए खलीफाओं से मंशूर प्राप्त करना पड़ता था। विश्व के सभी मुस्लिम शासकों द्वारा यह परम्परा अपनाई जाती थी। खिलाफत को मंगोलों द्वारा नष्ट कर दिया गया। आधुनिक काल में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की में खलीफा का शासन पुनः समाप्त कर दिया गया जिसके विरोध में भारतीय मुसलमान वर्ग ने भी खिलाफत आन्दोलन किया।

शुलह-ए- कुल

यह अकबर द्वारा अपनाई गई शान्ति की नीति थी जिसका प्रतिपादन उसके दरबारी अबुल फजल तथा फैजी द्वारा किया गया। उसने राजत्व का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसमें ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएँ किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं हैं उसी तरह बादशाह के उत्तम शासन का लाभ भी सभी को प्राप्त होना चाहिए तभी वह न्यायप्रिय शासक माना जाएगा अर्थात् शुलह-ए-कुल की नीति 'सभी प्रजा के लिए शान्ति और सद्भाव अपनाना चाहिए' है। इस नीति के अनुसार बादशाह भी ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है। इस नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य शिया, सुन्नी, हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्म के लोगों में साम्प्रदायिक सौहार्द लाना था।

तुर्कान-ए-चहलगानी

सल्तनत काल में इस गुट की निर्णायक भूमिका थी। तुर्कान-ए-चहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का गुट था इल्तुतमिश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य प्रशासन में उनकी सहायता प्राप्त करना था। इन तुर्क क्षमियों के पास सैन्य शक्ति भी थी। इल्तुतमिश की सत्ता स्थापना और सुदृढीकरण में इन तुर्क सरदारों का सहयोग रहा, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को चहलगानी के विरोध का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की सत्ता को ये चुनौती देने लगे। बलबन जब सुल्तान बना तो इस गुट को विनष्ट कर दिया गया।

वतन

मुगलकाल में आनुवंशिक जमींदारों को सामान्य रूप से दी जाने वाली भूमि को 'जागीर-ए-वतन' कहा जाता था अर्थात् यह मुगलकाल में हिन्दू राजाओं को प्रदत्त एक प्रकार की जागीर थी, जो वंशानुगत थी। यह हिन्दू जमींदारों को वेतन के रूप में दी जाती थी और इसका हस्तान्तरण नहीं होता था। इसके बदले वे जमींदार मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार करते तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता देते थे।

बलूता

मध्यकाल में पश्चिम भारत और दक्कन में प्रचलित एक प्रणाली थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के अनाज तथा फल-फूल के उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा, जिसे बलूता कहा जाता था, लगभग 12 ग्रामीण सेवकों तथा शिल्पकारों के जीवन निर्वाह के लिए निर्धारित किया जाता था। इन सेवकों तथा शिल्पकारों को बलूतादार कहा जाता था।

तकावी

मध्यकाल में उद्यमी वस्तु निर्माण और विशेषकर कपड़ों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल जुटा सकने से समर्थ था। कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मुगल राज्य किसानों को प्रोत्साहन और ऋण (तकावी) भी प्रदान करता था। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु किसानों को तकावी नामक ऋण दिया, जिसे सौन्धर कहा जाता था।

इक्ता

इल्तुतमिश ने 'इक्ता' प्रणाली प्राग्भ की, जिसका अर्थ धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस (ईरान) क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी। भारत में पहली इक्ता मुहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हॉली (हरियाणा) क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया था।

जजिया

भारत में सर्वप्रथम जजिया कर अरबों द्वारा लगाया गया था। यह शरीयत में वर्णित चार प्रमुख करों- खुमश, जजिया, जकात तथा उम्र में से एक है। जजिया तथा खुमश दोनों धर्मनिरपेक्ष कर थे, जो गैर-मुसलमानों से वसूल किए जाते थे। जजिया का अर्थ मुआवजा होता है जिसे वसूल किया जाता था, वे 'जिम्मी' कहलाते थे। इसकी वसूली का आधार सुरक्षा प्रदान करना था। जो लोग तैमिक सेवा नहीं देते थे उनकी सुरक्षा का भार मुसलमानों पर था या राज्य पर था। अतः उनकी सुरक्षा के एवज में जजिया वसूल किया जाता था। ब्राह्मण, रित्रियों, बच्चों तथा अनाथ, अन्धों, विधवा आदि से यह कर नहीं वसूल किया जाता था। अकबर ने जजिया कर 1564 ई. में हटा दिया था जिसे पुनः श्रीरंगजेब द्वारा 1679 ई. में लगा दिया गया।

फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जजिया संग्रह का कार्य ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही सम्पादित किया जाता था। अतः उन्हें जजिया से मुक्त रखा जाता था।

जकात

जकात इस्लाम में एक प्रकार का 'दान देना' है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी और कर के रूप में देखा और जाना जाता है। इस्लाम के अनुशासक शलात या नमाज के बाद जकात ही का मुकाम है, इस्लाम धर्म के अनुशासक जकात पाँच मूल स्तम्भों में से एक माना जाता है और हर मुसलमान को अपने धन में से जकात की अदायगी जरूरी है।

मदद - ए - माश

शासकों द्वारा शिक्षा, धर्म, विद्वान् आदि को पोषण के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, उसे मध्यकाल में 'मदद-ए- माश' कहते थे। प्राचीन काल में इसे अग्रहार नाम से जाना जाता था। शलतनत काल में फिरोजशाह तुगलक ने मदद ए माश भूमि का वितरण किया। मुख्यतः परती भूमि जो कृषि योग्य थी परन्तु इस पर कृषि कार्य नहीं होता था, को दान में दिया जाता था। भूमि ग्राही का उस भूमि के राजस्व पर अधिकार होता था। राज्य द्वारा वहाँ से अपना हिस्सा नहीं माँगा जाता था। अधिकांशतः यह भूमि वापस भी नहीं ली जाती थी, परन्तु अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन भूमियों को खालसा भूमि में परिवर्तित करने का कुछ अणवाद अणश्य मिलता है।

क्रमरम

क्रमरम भूमि भी एक प्रकार की दान भूमि थी, जो विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेनानायकों को प्रदान की जाती थी। इका प्रणाली की तरह ही वेतन के बदले में अधिकारियों (सैनिक) को भूमि के राजस्व प्रदान किए जाते थे। इसके राजस्व से सेनानायक एक सैन्य टुकड़ी रखता था। क्रमरम भूमि का उपयोग करने के कारण उन्हें 'क्रमरनायक' कहा जाता था। क्रमरनायकों की स्थिति सैनिक सामन्त जैसी थी जो केन्द्रीय राजस्व का अंश चुकाकर उस भूमि पर अपना प्रशासनिक और सैनिक नियन्त्रण रखते थे। राज दरबार में सेना के लिए उपस्थित होते थे। बाह्य आक्रमण के समय ये अपनी सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे, परन्तु सामन्तों की तरह इनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था।

राय रेखो

यह विजयनगर साम्राज्य में भूमि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक मानक था। भूमि की पैमाइश नियमित की जाती थी। उनकी पहचान के लिए पत्थर गाड़े जाते थे ताकि बार-बार पैमाइश करने की आवश्यकता न पड़े। विजयनगर के शासकों द्वारा भूमि मापन द्वारा उपज का वास्तविक निर्धारण कर के रूप में करने के लिए किया जाता था जिससे भू-राजस्व की वसूली में पारदर्शिता बनी रहे।

जंगम

लिंगायत सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों को जंगम कहते हैं। लिंगायत जो शैव धर्म की ही एक शाखा है। लिंगायत की स्थापना वासुदेव ने की जिसमें शिवलिंग की उपासना की जाती है। उसे चाँदी के समुद्र में रखकर गले में धारण किया जाता है। इस धर्म का प्रचार गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक हुआ शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने में लिंगायत भक्तों का प्रमुख योगदान है।

मदरशा

इस्लाम धर्म में मदरशा का गठन उच्च शिक्षा (**Higher Education**) को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। इसे सामान्यतः एक धार्मिक शिक्षा केन्द्र के रूप में देखा जाता है। भारत में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरशों का गठन किया था। सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरशा-ए-मुईजी की स्थापना की। मदरशा में धार्मिक विषयों के साथ-साथ व्यावहारिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है।

मकतब

मकतब प्राथमिक शिक्षा (**Elementary Education**) के केन्द्र होते थे। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कण्ठस्थ करते थे। वे पढ़ना-लिखना, गणित और चिट्ठी पत्री लिखना भी सीखते थे।

शरियत

इसे शरीया कानून और इस्लामी कानूनी भी कहा जाता है। यह इस्लाम के धार्मिक कानून का है। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से होती है। पहली इस्लाम का धर्मग्रन्थ कुरान है और दूसरा इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद द्वारा दी गई मिसालें हैं।

चौथ

मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर (भू-राजस्व) था, जिसकी शुरुआत शिवाजी द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा कर था, जो मराठा, बाह्य क्षेत्रों से वसूल करते थे। चौथ जमा करने वाले राजा (शासक) पर मराठों का आक्रमण नहीं होता था तथा उसकी सुरक्षा होगी, जब उस पर बाह्य आक्रमण होगा। यह जमाकर्ता राज्य की आय का 1/4 होती थी। इसका उपयोग मराठों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार हेतु किया गया। इससे मराठों की स्थिति सुदृढ़ हुई और राजनीतिक परिदृश्य में उनका महत्व बढ़ गया।

सरदेशमुख

चौथ की तरह का एक प्रकार का राज कर जो मराठा शासनकाल में जनता पर लगता था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख (प्रधान मुखिया) होने के नाते और लोगों के हित करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। यह कुल भू-राजस्व का दसवां हिस्सा (1/10 भाग) होता था।

शर्राफ

मध्यकाल में व्यापारिक गतिविधियों को सम्पन्न करने अथवा पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हुण्डी की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में लगे विशेषज्ञों को शर्राफ (व्यापारी) कहा जाता था। शर्राफ शिककों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ रुपये के लेन-देन का भी विशेषज्ञ होता था। एक प्रकार से वह निजी बैंक की भाँति कार्य करता था।

शराय

शराय मुख्य रूप से मुसाफिरों एवं राहगीरों के विश्राम करने का स्थल होता था, जो आधुनिक धर्मशाला के समान था। फिरोजशाह तुगलक ने जल-कल्याण को ध्यान में रखकर अनेक शरायों का निर्माण करवाया। इसने सड़क के किनारे अधिक संख्या में वृक्ष लगवाए। शेरशाह ने लगभग 1700 शरायों का निर्माण करवाया, जिसमें हिन्दुओं एवं मुसलमानों को ठहरने (Guest House) के लिए अलग-अलग व्यवस्था होती थी। प्रत्येक शराय की देखभाल एक शिकदार नामक अधिकारी करता था।

पोलीगर

विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेना के बदले शकम्भर जागीर दी जाती थी, उन्हें 'शकम्भर' अथवा 'पोलीगर' कहा जाता था अर्थात् सैनिक शासक अथवा नायक ही पोलीगर कहलाते थे। ये पोलीगर एक निश्चित संख्या में सैनिक, केन्द्रीय सेवार्थ रखते थे। कालान्तर में इनकी शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका जमा की।

दास

भारत में दास प्रथा का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। प्रायः युद्ध में बन्दी बनाए गए लोगों को दास बनाया जाता था। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मध्यकाल में भी दास प्रथा विद्यमान थी। दासों से बेगार (बिना वेतन) लिया जाता था। फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास इसने दासों की देखभाल हेतु एक पृथक् विभाग दीवान-ए-बंदगान का गठन किया था। इसके शासनकाल में दासों को कारखाना में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु कार्य दिया जाता था।

जागीर

मुगलकाल में 'जागीर' भूमि की एक इकाई थी। जिसे जागीर प्रदान की जाती थी, उसे जागीरदार कहा जाता था। वस्तुतः यह मनसबदारों को उनके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। जिन मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था उन्हें यह जागीर नहीं दी जाती थी। वेतन के रूप में प्रदत्त जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। यह शल्लतनतकालीन 'इत्ता' प्रथा जैसी ही थी। इसके प्राप्तकर्ता मनसबदार अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ केन्द्र को रैनिक सहायता आदि प्रदान करते थे।

दस्तूर

मुगलकाल में दस्तूर कृषकों से किया गया एक अनुबन्ध होता था जिसके द्वारा शासकों एवं कृषकों के बीच आपसी तालमेल बना रहता था। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि सम्बन्धी उपकरणों की क्षेत्रीय मूल शूयियाँ, कृषि पैदावार तथा लगान सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी हुई होती थी।

मनसब (श्रीहदा)

मनसब प्रणाली का उद्भव मध्यकाल में मध्य एशिया से हुआ था। मुगलकाल में यह प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। मनसब का अर्थ पद-स्थान या श्रीहदा होता है जो व्यक्ति का श्रीहदा या पद शूयित है। मनसब प्राप्त व्यक्ति को 'मनसबदार' कहा जाता था। प्रायः यह मुगलकाल में अमीरवर्ग, सरदार, रैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। आइने अकबरी में 66 मनसबों की श्रेणियों का उल्लेख है लेकिन अबुल फजल केवल 33 मनसबों का ही विवरण देते हैं। इसका प्रयोग (मनसब) वेतन एवं भत्तों को निश्चित करने हेतु होता था।

देशमुख

मध्यकाल में विशेषकर मराठों के अधीन ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख देशमुख होता था जो सम्पूर्ण ग्रामीण क्रियाओं हेतु जिम्मेदार था। इसे मुकदम, खुत, चौधरी आदि की भी संज्ञा दी जाती थी। ये आनुवंशिक हुआ करते थे तथा जागीरों, सम्पत्तियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। स्थानीय जनता से कर वसूलकर उसे केन्द्रीय राजस्व में पहुँचाने का कार्य भी देशमुख ही करते थे।

नाडु

यह चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई थी। सम्पूर्ण चोल साम्राज्य मण्डलों में विभाजित था जो प्रान्त स्तर के थे। मण्डलों को वलनाडु में (क्षेत्रीय) विभाजित किया जाता था। नाडु आधुनिक जिला स्तर की इकाई थी जिसका प्रशासन नदर नामक शभा द्वारा संचालित किया जाता था। यह जिला परिषद् की तरह कार्य करता था जिसमें उसके अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव के प्रतिनिधि होते थे। इनका मुख्य कार्य राजस्व का प्रबन्धन करना था। इसे किसी भी प्रकार के भू-राजस्व में छूट देने का अधिकार था। यह मन्दिर प्रबन्धन का भी कार्य करती थी। कालान्तर में (विजयनगर) नायकर और आमकर व्यवस्था के कारण स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता बाधित हुई।

32

ये चोलकालीन ग्राम सभाएँ थीं। इसका प्रशासन जनसभाओं द्वारा संचालित किया जाता था। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सभी ग्रामवासी 32 के सदस्य होते थे। उत्तरमेखर अभिलेख से प्राप्त ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। चोल शासक ग्राम प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे।

उलेमा

उलेमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन सम्बन्धी जिम्मेदारी निभाते थे। उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरियत का पालन करवायेंगे। प्रायः उलेमा को काजी, न्यायधीश, अध्यापक आदि के पदों पर नियुक्त किया जाता था।

फरमान

राजकीय आज्ञा या शासनादेश को ही फरमान (Decree) कहा जाता है। फरमान का स्वरूप पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों था। मौर्य शासक अशोक द्वारा जारी किया गया शासकीय आज्ञादेश (अभिलेखों के द्वारा) पुरातात्विक फरमान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में फरमान का साक्ष्य साहित्यिक रूप से मिलने लगा, जो लिखित रूप में होता था। उत्तर मुगल शासक फर्रुखशियर ने 1717 ई. में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार में छूट प्राप्त हुई।

सत्याग्रह

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ 'सत्य' के प्रति आग्रह है। सत्याग्रह को महात्मा गाँधी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध एक अचूक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। अशहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, अनशन और उपवास सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं। महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ई. में बिहार के चम्पारण जिले में किया। दूसरी बार इसका प्रयोग उन्होंने 1918 ई. में अहमदाबाद में किया एवं 3री वर्ष खेडा आन्दोलन के दौरान उन्होंने इसका तीसरी बार प्रयोग किया।

स्वदेशी

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान 1905 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में आयोजित किए गए आन्दोलन को स्वदेशी आन्दोलन का नाम दिया जाता है। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में भारतीय वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना था। स्वदेशी के प्रचार-प्रसार से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा भारतीयों को कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए। स्वदेशी आन्दोलन ने भारतीयों में राष्ट्रियता की भावना का प्रसार किया।

पुनः प्रवर्तनवाद

पुनः प्रवर्तनवाद एक ऐसी विचारधारा है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान व लोगों के भौतिक जीवन में उन्नति होती है। 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को 'नव जागरण', 'पुनः प्रवर्तनवाद' या पुनर्जागरण के नाम से सम्बोधित किया जाता है। भारत में इसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे।

सम्प्रदायवाद

यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस धारणा में विश्वास करती है कि कुछ लोग जो किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित भी समान होते हैं तथा उनके हित किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों से भिन्न होते हैं। इसमें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाता है।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसमें वैयक्तिक हितों तथा विरोधों को सम्प्रदाय के आघार पर निर्धारित किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के अन्तिम तीन दशकों में सम्प्रदायवाद अपने विकसित रूप में दिखाई पड़ता है जिसका परिणाम भारत का विभाजन है।

प्राच्यवाद

यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी देश क्षेत्र, जनता, धर्म अपने अतीत के गौरव को स्मरण करता है। उनसे जुड़ी परम्परा, भाषा, साहित्य को प्रोत्साहन देता है। 19वीं शदी में भूमध्यसागरीय देशों में राष्ट्रीय भावना के उदय में प्राच्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। 19वीं शदी में भारत के धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण में भी अतीत के गौरव का स्मरण किया गया।

ब्रह्म समाज (उपनिषद्), आर्य समाज (वेदों), थियोसोफिकल सोसायटी आदि ने अपनी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को नई चेतना के साथ जीवित किया जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी प्राच्यवादियों तथा आंग्लवादियों के बीच विवाद चला था जिसे मैकाले द्वारा समाप्त किया गया।

प्राच्य निरंकुशतावाद

प्राच्य निरंकुशतावाद की अवधारणा कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय सरकारों द्वारा एशियाई देशों में स्थापित सरकार एवं समाज के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह एरिस्टोटेलियन राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। प्रबोधन के युग में प्राच्य निरंकुशतावाद एक नवीन विचारधारा थी। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक माण्टेस्क्यू ने इस पर व्यापक बल दिया। जर्मन दार्शनिक हीगल के विचारों में प्राच्य निरंकुशतावाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। मार्क्स ने भी एशियाई उत्पादन सिद्धांत में भी इसका वर्णन किया है।

वि-औद्योगिकीकरण

यह एक आर्थिक नीति है जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने आश्रित उपनिवेशों पर लागू की गई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति होने के कारण इसने विश्व में अपने निर्मित मालों का प्रवेश किया। इसमें कच्चे मालों का आयात तथा निर्मित मालों का निर्यात करना मुख्य उद्देश्य होता था।

अपने मशीन निर्मित मालों को भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए कई सहायक नीतियों को भी लागू किया जाता था। सस्ते ढाँचे पर आयात, महँगे मालों को बेचना, विदेशी मालों पर अधिक कर लगाना जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ा। विदेशी वस्तुओं के भारत में प्रवेश ने उद्योगों को पीछे की ओर ढकेल दिया। उद्योग नष्ट हो गए तथा उनकी जगह नवीन उद्योग नहीं ले पाए। यही वि-औद्योगिकीकरण है।